(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 43 /2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. (अ), जहां कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर की सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 0404 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क में बढ़ोतरी की जानी चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की जरूरत है ।

अत: अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा :-

उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, खंड I में, अध्याय 4 में टैरिफ मद 0404 10 10, 0404 10 20, 0404 10 90 और 0404 90 00 के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में, प्रविष्टि “40%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(फाइल संख्या 354/107/2018- टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार